न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्ययायालय संख्या–02) मथुरा
प्रकीर्ण वाद संख्या 171/2024
धर्मेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

10.09.2024

पत्रावली पेश हुई ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 5 ख, अन्तर्गत धारा 5 परीसीमा अधिनियम

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/प्रस्तावित पुनरीक्षणकर्ता धर्मेन्द्र द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित करने में हुए विलम्ब को शमित करने हेतु इस आधार पर दिया गया है कि प्रार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 23.02.2024 को हुई, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.02.2024 को प्रार्थनापत्र दिया, जो दिनांक 01.03.2024 को प्राप्त हुई । दिनांक 02.03.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता जनपद से बाहर गये हुए थे, जो दिनांक 12.03.2024 को वापस हुए । प्रार्थना की है कि दाण्डिक पुनरीक्षण करने में हुए विलम्ब को शमित किया जाये । समर्थन में शपथपत्र 6 ख, प्रस्तुत किया गया। मामले में प्रार्थनापत्र 9 ख/1 मूल प्रार्थनापत्र के साथ शामिल मिसिल है, जो कि शपथपत्र 9 ख/2 से समर्थित है।

विपक्षी को नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा आपत्ति हेतु समय की याचना की गई, किन्तु कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी । मौखिक आपत्ति करते हुए हर्जे पर बल दिया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

मुन्सरिम आख्या के अनुसार दाण्डिक पुनरीक्षण करने में 41 दिवस का विलम्ब कारित होना दर्शाया गया है । प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कारण आक्षेपित आदेश का विलम्ब से संज्ञान में आना कहा है, तत्पश्चात सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर, दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित करना चाहा तो उसके अधिवक्ता जनपद से बाहर चले गये । प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी व्यक्ति को मात्र विलम्ब के आधार पर न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पा बनाम मधुकर व अन्य 2001(1) जे०आई० सी०–588 (एस०सी०)** में कहा है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी विलम्ब जैसे तकनीकी आधारों पर खारिज नहीं करना चाहिये। न्यायालय को समय बाधित दाण्डिक निगरानी में मियाद के प्रश्न को विचार में लेते समय लचीला रूख अपनाया जाना चाहिये एवं विधि व्यवस्था **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का विधि निर्णय 2004 (22) LCD 474 एवं 2009(27)LCD 660 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2009(2)ARC 222 स्टेट आफ बिहार बनाम अर्जुन प्रसाद रजक** में मियाद अधिनियन के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायहित में धारा –5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित करने में हुये विलम्ब को शमित किया जाना उचित एवं न्यायसगत है, तदनुसार प्रार्थनापत्र 5 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

5 ख प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित करने में हुआ विलम्ब शमित किया जाता है।

पत्रावली अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई हेतु माननीय सत्र न्यायालय में दिनांक 27.09.2024 को पेश हो।

(सुशील कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय कक्ष सं०–2,
मथुरा
यू०पी०आई०डी०–1338

Digitally signed by Sushil Kumar
Date: 2024.09.21 11:54:12 TLT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court